अगस्त 2022 ■ वर्ष : 31 ■ अंक : 12 ₹125

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

अंतरविषयी प्रकृति के अनुरूप
मुख्य परीक्षा के 100 विषय
जी.एस. पेपर I-IV
विवरण, विवेचना एवं विश्लेषण

सामयिक आलेख

- डिजिटल प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण : भारत के प्रयास एवं चुनौतियां
- आसियान तथा भारत का हिंद-प्रशांत विजन : रणनीतिक साझेदारी के 30 वर्ष
- विश्व व्यापार संगठन एवं भारत : 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा भारत के मुद्दे
- ऊर्जा सुरक्षा : आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कड़ी
- भारत में लिव-इन संबंध : वैधानिकता एवं संबंधित निर्णय
- क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर : सुरक्षा की आवश्यकता एवं भावी कार्यनीति
- भारत की गिग इकोनॉमी : कार्यबल की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हेतु विनियमन आवश्यक
- भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन : प्रयास एवं चुनौतियां
- भारत में दुर्लभ मृदा तत्व : सामरिक महत्व एवं उत्पादन
- 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : बेहतर साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु आह्वान

विषय विमर्श
सहभागी शासन : सुशासन का उच्चतम स्तर

नीति विश्लेषण
शहरी रोजगार गारंटी योजना : समावेशी एवं धारणीय शहरी विकास हेतु आवश्यक

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022
मॉडल पेपर : सामान्य अध्ययन

निबंध : जीवन, स्वयं को अर्थपूर्ण बनाने का अवसर है

निःशुल्क ऑनलाइन सामग्री व टेस्ट सीरीज़ के लिए स्कैन करें

अगस्त 2022 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

अगस्त 2022

❑ वर्ष 31 ❑ अंक 12

इस अंक में

मुख्य परीक्षा विशेष-2

109 100 जीएस टॉपिक

विवरण, विवेचना एवं विश्लेषण

राज्य परीक्षा विशेष

170 यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 विशेष

मॉडल पेपर : सामान्य अध्ययन

निबंध

177 जीवन, स्वयं को अर्थपूर्ण बनाने का अवसर है

सामयिक आलेख

07 डिजिटल प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण : भारत के प्रयास एवं चुनौतियां

10 भारत की गिग इकोनॉमी : संलग्न कार्यबल की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु विनियमन आवश्यक

13 ऊर्जा सुरक्षा : आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कड़ी

16 विश्व व्यापार संगठन एवं भारत : 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा भारत के मुद्दे

19 आसियान तथा भारत का इंडो-पैसिफिक विजन : रणनीतिक संवाद एवं साझेदारी के 30 वर्ष

विषय विमर्श

23 सहभागी शासन : सुशासन का उच्चतर स्तर

नीति विश्लेषण

25 शहरी रोजगार गारंटी योजना : समावेशी एवं धारणीय शहरी विकास हेतु आवश्यक

इन फोकस

28 भारत में लिव-इन संबंध : वैधानिकता एवं संबंधित निर्णय

30 क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर : सुरक्षा की आवश्यकता एवं भावी कार्यनीति

31 भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन : प्रयास एवं चुनौतियां

32 भारत में दुर्लभ मृदा तत्व : सामरिक महत्व एवं उत्पादन

34 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : बेहतर साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु आह्वान

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 36-48

36 आईटी नियम, 2021 में संशोधन प्रस्तावित

37 4 राज्यों की 16 राज्य सभा सीटों के लिए चुनाव

38 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

39 नवनिर्वाचित 40% राज्यसभा सांसदों पर आपराधिक मामले

39 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट

40 महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट तथा किहोतो होलोहन वाद

41 राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022

42 अग्निपथ योजना

43 निर्माण श्रमिकों हेतु कौशल प्रशिक्षण परियोजना : निपुण

44 मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना

44 भारत की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि

45 माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21

46 जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक

47 औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022

48 राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022

48 ज्योतिर्गमय उत्सव

सामाजिक परिदृश्य 49-54

49 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

49 बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून

50 भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट

51 पीएम ई-विद्या योजना

51 मनरेगा श्रमिकों से संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग

52 शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

53 वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट-2022

53 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

54 मनोरंजन उद्योग तथा बाल संरक्षण

विरासत एवं संस्कृति 55-58

55 संत कबीरदास
56 संत तुकाराम शिला मंदिर
56 कालिका माता मंदिर
57 पट्चित्र पेंटिंग
57 अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 'उनमेश'
57 शीतल षष्ठी
58 अंबुबाची मेला
58 बैखो त्योहार
58 खीर भवानी मेला

आर्थिक परिदृश्य 59-68

59 सार्वजनिक बैंक सुधार एजेंडा : ईज 5.0
60 रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि
60 आरबीआई का पेमेंट्स विजन 2025
61 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21
62 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22
63 राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा
64 जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति
64 न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
65 ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022
66 मई 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा
66 ग्रीन जॉब्स : अवधारणा तथा इस संबंध में किये गए प्रयास
67 निर्यात पोर्टल का शुभारंभ
68 बैंगनी क्रांति में कृषि-तकनीक स्टार्टअप
68 भारत में दोहरे घाटे की समस्या की संभावना

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 69-77

69 नाटो समूह में शामिल होने के लिए स्वीडन एवं फिनलैंड के आवेदन
70 भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक
70 पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना
72 भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता
72 भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा परामर्श
73 भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी
73 उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल
74 अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर
74 ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच
75 सिपरी इयरबुक-2022
75 विश्व शासन संकेतक
76 आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक
76 'वे फाइंडिंग एप्लिकेशन' विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

पर्यावरण एवं जैव विविधता 78-87

78 एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति
79 स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण वार्ता तथा स्टॉकहोम+50
79 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022
80 पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2022
80 नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022
81 14वां असम राइनो अनुमान
81 दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना
82 हाल ही में खोजी गई प्रमुख प्रजातियां
83 सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
83 जलवायु परिवर्तन प्रबंधन में नेतृत्व
84 इको सेंसिटिव जोन की सीमा निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
84 मरुस्थलीकरण तथा सूखा
85 जीएम फसल अनुसंधान मानदंडों में ढील
85 कोयला कार्य योजना 2022-23
86 सियोल वन घोषणा
86 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट
87 राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक सूची: नीति आयोग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 88-96

88 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रथम एवं द्वितीय वाणिज्यिक मिशन
89 तीव्र रेडियो प्रस्फोट
90 पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों का नया मानचित्र
90 पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण
91 अग्नि-4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण
92 अस्त्र मार्क-1 खरीद अनुबंध
92 वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस
93 तरल नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना
94 क्रायस एक्सपीपी : एआई-असिस्टेड मशीन लर्निंग
94 नए साइबर सुरक्षा निर्देश तथा VPN सेवा प्रदाता
95 नई अल्ट्राथिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म का विकास
95 एन्कोवैक्स : पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन
96 तामागोची पीढ़ी
96 ड्रोन के माध्यम से पार्सल वितरण

लघु सूचिका 97-102

राज्यनामा.....103-105

खेल परिदृश्य.....106-108

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

डिजिटल प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
भारत के प्रयास एवं चुनौतियां

• संपादकीय डेस्क

कंप्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं के क्षेत्र में नवीन खोजों के आगमन के पश्चात वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बिना अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए भारत को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, जिससे वह एक निश्चित समय में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों के आगमन के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकी की जटिलता में वृद्धि हुई है। ऐसे में एक दीर्घकालिक नीति के आधार पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के सभी आयामों को संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

17 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम 5G टेस्टबेड का उद्घाटन किया। इससे देश के स्टार्ट-अप तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय स्तर पर ही अपने उत्पादों का परीक्षण करने में सक्षम हो सकेंगे तथा विदेशों पर उनकी निर्भरता में कमी आएगी। 5G टेस्टबेड की स्थापना 220 करोड़ रुपए की आरंभिक लागत के साथ की गई है। इसके अभाव में भारतीय उद्यमियों को 5G नेटवर्क की स्थापना के लिए प्रयुक्त होने वाले अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। देश में 5G टेस्टबेड की शुरुआत डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेषकर दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

* भारत में 1980 के दशक में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल क्रांति का आगमन हुआ। स्वदेशीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। किंतु, स्पष्ट नीति के अभाव तथा अवसंरचनात्मक विकास की कमी के कारण यहां प्रयुक्त की जाने वाली अधिकांश डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विदेशों से आयात किया जाता रहा है।
* मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है; इसके उपयोग, महत्व तथा भविष्य को देखते हुए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, आवश्यकता इस बात की भी है कि भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की विकास प्रक्रिया को समझते हुए इस दिशा में अब तक किए गए प्रयासों के साथ-साथ इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाए।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का महत्व

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के व्यापक उपयोग के कारण 21वीं सदी को डिजिटल सदी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक एवं रणनीतिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है।

* वर्तमान समय में परिवर्तनशील वैश्विक एवं भू-राजनैतिक परिदृश्य में युद्ध की प्रकृति में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए अब कोई भी देश केवल भौतिक रक्षा उपकरणों पर निर्भर रहकर सुरक्षित नहीं रह सकता। भारत के लिए भी रक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में देश के समक्ष आने वाले किसी भी सुरक्षा संबंधी संकट से आसानी से निपटा जा सके।

* वर्तमान समय में इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एनालिटिक्स, संचार प्रणाली, सेंसर, रोबोटिक्स तथा मानवरहित हवाई वाहन जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत में अनुसंधान गतिविधियां निम्न स्तर की हैं। उदाहरण के लिए, देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सेटेलाइट फोन तक का आयात विदेशों से किया जाता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके भारत न केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है बल्कि दूसरे देशों को इसके निर्यात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी।
* आर्थिक परिदृश्य में देखा जाए तो हम पाते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन देश के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में भी आरंभ हो गया है।
* कोविड-19 महामारी काल में लॉकडाउन की स्थितियों में भौतिक व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के बंद होने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी ने आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत की गिग इकोनॉमी

संलग्न कार्यबल की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु विनियमन आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

नीति आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट गिग अर्थव्यवस्था में लागू किए जाने वाले सुधारों के क्रम में एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है। अमेरिका के बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (Boston Consulting Group) द्वारा जारी की गई एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग कार्यबल के तहत सॉफ्टवेयर, साझा और पेशेवर सेवा जैसे उद्योगों में लगभग 15 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि गिग क्षेत्र द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। ऐसे में गिग श्रमिकों को उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक कौशल निर्माण गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए।

27 जून, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत तथा विशेष सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव ने 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' (India's Booming Gig and Platform Economy) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट अपनी तरह का ऐसा पहला अध्ययन है जो भारत में गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था (Gig-Platform Economy) के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

- इसके अंतर्गत गिग क्षेत्र के मौजूदा आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति एवं दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। साथ ही, इस उभरते क्षेत्र में व्याप्त अवसरों और चुनौतियों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पहल से संबंधित श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं का वर्णन भी किया गया है। भारत में बढ़ते शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्मार्टफोन तक व्यापक पहुंच को देखते हुए इस क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता अत्यंत व्यापक है।
- अर्थव्यवस्था के इस नवीन क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को सामाजिक-सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी। भारत में इस क्षेत्र के विनियमन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति में, नीति आयोग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

गिग इकोनॉमी क्या है?

गिग अर्थव्यवस्था लचीली, अस्थायी अथवा फ्रीलांस नौकरियों (Flexible, Temporary or Freelance Jobs) पर आधारित प्रणाली है, जिसमें ग्राहकों तथा नियोक्ताओं के मध्य संबंधों का विकास मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Online Platform) के माध्यम से किया जाता है।

- इस प्रणाली में कंपनियां पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को काम पर रखने पर अधिक बल देती हैं। यही कारण है कि गिग अर्थव्यवस्था पूर्णकालिक श्रमिकों वाली पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करती है।
- पारंपरिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों में अपनी नौकरियों एवं कार्यों में परिवर्तन की प्रवृत्ति अत्यंत निम्न होती है तथा कर्मचारी जीवन पर्यंत एक ही प्रकार के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ, गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारी कार्यों की बदलती प्रवृत्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन करते रहते हैं। इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन (India Staffing Federation) ने वर्ष 2019 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सी-स्टाफिंग (Flexi-Staffing) में 5वां सबसे बड़ा देश है।
- **प्लेटफॉर्म कंपनी:** प्लेटफॉर्म कंपनी एक ऐसे व्यवसाय को संदर्भित करती है, जो आधारभूत तकनीकी का निर्माण करके अन्य कंपनियों की उत्पत्ति तथा उनकी वृद्धि को सुनिश्चित करती है। ऐप्पल, गूगल, अमेजॅन और अलीबाबा जैसी कंपनियां प्लेटफॉर्म कंपनी के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
  - प्लेटफॉर्म कंपनियां पारंपरिक उद्योगों को तीव्र गति से परिवर्तित कर रही हैं तथा उन्हें इंटरनेट एवं तकनीकी सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रेरित कर रही हैं।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था

रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार भारत में वर्ष 2019-20 में लगभग 68 लाख (6.8 मिलियन) तथा वर्ष 2020-21 में 77 लाख (7.7 मिलियन) गिग कर्मचारी मौजूद थे।

- वर्ष 2020-21 में इन श्रमिकों के द्वारा भारत में गैर-कृषि कार्यबल में 2.6% तथा कुल कार्यबल में 1.5% की हिस्सेदारी थी। इस कार्यबल में वर्ष 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक वृद्धि होने की संभावना है।
- इस प्रकार, वर्ष 2029-30 तक गिग श्रमिक गैर-कृषि कार्यबल (Non-farm workforce) के 6.7% तथा भारत के कुल कार्यबल (Total Workforce) के 4.1% कार्यबल का निर्माण करेंगे।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 47% गिग कार्यबल मध्यम कुशल नौकरियों (Medium Skilled Jobs) में, लगभग 22% श्रमिक उच्च कुशल नौकरियों (High Skilled Jobs) में तथा लगभग 31% अल्प कुशल नौकरियों (Low Skilled Jobs) में संलग्न हैं।
- भारत में गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा अनुमानित 56% नए रोजगार ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर कार्यबल (Blue-Collar and White-Collar Workforce) में उत्पन्न किये जा रहे हैं।
- रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की गई है कि गिग इकोनॉमी भारत में गैर-कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरियां उपलब्ध करा सकती है। ऐसा संभव होने पर दीर्घकाल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त 1.25% की वृद्धि हो सकेगी।

ऊर्जा सुरक्षा

आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कड़ी

• रमेश खनाल

भारत ने अपने नागरिकों को ऊर्जा सेवाएं प्रदान करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 2 दशकों में लगभग 90 करोड़ लोगों तक विद्युत की पहुंच सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में 96.7% भारतीय परिवार विद्युत ग्रिड से जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2022 एवं 2024 के मध्य देश में बिजली की मांग 6.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। स्वाभाविक है कि सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हालांकि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की राह में कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं। अतः ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को इन चुनौतियों का समाधान खोजना होगा।

वर्ष 2022 में अभूतपूर्व हीटवेव ने भारत में ऊर्जा की तीव्र कमी उत्पन्न कर दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 'देश में हीटवेव वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है, जो वर्ष 1981-1990 के 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 हो गई है'। रिपोर्ट के अनुसार, देश के बड़े हिस्से के गर्मी की चपेट में आने से और अप्रैल 2022 में कोयले की आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण भारत में बिजली की भारी कमी देखी गई। इस महीने के दौरान 8 दिनों में 100 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की कमी हुई। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार 1.3 अरब से अधिक की आबादी के साथ, अगले 2 दशकों में भारत की ऊर्जा जरूरतों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

* अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), ऊर्जा सुरक्षा को एक किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित करती है, अर्थात किसी देश की घरेलू, औद्योगिक, परिवहन और सैन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त, सस्ती और लगातार ऊर्जा आपूर्ति हासिल करने की क्षमता को ही ऊर्जा सुरक्षा कहा जाता है। ऊर्जा सुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें पर्याप्त ऊर्जा संसाधनों को उचित दरों पर नागरिकों तक सरलता से पहुंचाया जा सके। सामरिक कारणों से यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि देश में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ईंधन भंडार हों, जो ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने वाले तत्वों से निपट सकें।
* आत्मनिर्भर भारत अभियान, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम (Make in India program) की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सफलता आत्मनिर्भर भारत की सफलता पर निर्भर करेगी वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत की सफलता ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्वायत्तता पर निर्भर करेगी। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिनकी सहायता से भारत 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।

आत्मनिर्भर भारत हेतु ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता

भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और अग्रणी वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा वर्तमान समय की जरूरत है, जिसकी सहायता से भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

* कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भारी मात्रा में आयात सामरिक दृष्टि से चिंताजनक है। वर्तमान में भारत की 80% तेल और गैस की जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार यह 2040 तक 90% तक बढ़ सकता है। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित कर सकती है।
* ऊर्जा आयात निर्भरता, भू-राजनीतिक जोखिमों को बढ़ावा देती है, जो अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों (जैसे, मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता या रूस-यूक्रेन युद्ध) के कारण जोखिम में डालता है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ऊर्जा सुरक्षा भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करके देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।
* भारत ने समग्र ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन वर्तमान में भी बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी महज 7% ही है, जबकि कोयले की हिस्सेदारी 70% है। यद्यपि वर्तमान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, परन्तु समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसका हिस्सा 2040 तक 30% तक बढ़ने की ही उम्मीद है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति हेतु समग्र ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा को बढ़ाना होगा।
* वर्तमान में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों वृद्धि के कारण, भारत के तेल आयात की लागत तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण भारत का चालू खाता घाटा (CAD) तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारत में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में चालू खाते के घाटे को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन एवं भारत

12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा भारत के मुद्दे

• संपादकीय डेस्क

डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान विश्व के विभिन्न व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए गए। सम्मेलन में भारत ने कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सब्सिडी और व्यापार सुविधा जैसे मुद्दों पर आपत्तियों को यथावत रखा। यद्यपि भविष्य में भारत को विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में अपने व्यापार संबंधी रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र आर्थिक उदारीकरण और व्यापार सुधार कार्यक्रम पर जोर देना होगा।

विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून, 2022 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (Multilateral trading system) के कामकाज की समीक्षा करने और विश्व व्यापार संगठन के भविष्य की कार्य प्रणाली पर कार्यवाही करने के लिए विश्व भर के मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया

- स्विट्जरलैंड के साथ इस सम्मेलन की सह-मेजबानी (Co-hosted) कजाकिस्तान द्वारा की गई और इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के उप-प्रमुख तैमूर सुलेमानोव (Timur Suleimenov) ने की थी। कजाकिस्तान मूल रूप से जून 2020 में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था।
- विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस संगठन में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है तथा इसे मौजूदा नियमों को बदलने व नए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस निकाय द्वारा लिए गए निर्णय इसके 164 सदस्य देशों पर स्थायी रूप से बाध्यकारी होते हैं। 2022 का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सुधार जैसे विषयों को संबोधित करने वाले व्यापार समझौतों के साथ संपन्न हुआ।

12वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **विश्व व्यापार संगठन में सुधार:** सदस्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि की और विचार-विमर्श से लेकर निगरानी तक, अपने सभी कार्यों में सुधार के लिए एक खुली और समावेशी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने 2024 तक सभी सदस्यों के लिए एक उचित रूप से कार्य करने वाली 'विवाद निपटान प्रणाली' (Dispute settlement system) को सुलभ बनाने की दिशा में काम करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की। विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय (Appellate Body) वर्ष 2020 से निष्क्रिय है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए इस अपीलीय निकाय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सहमत होने से इनकार कर दिया था।
- **महामारी संबंधी प्रतिक्रिया:** विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने घरेलू स्तर पर अधिक सरलता से COVID-19 टीकों का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2027 तक के लिये पेटेंट धारक की सहमति के बिना COVID-19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट (Intellectual Property Patents) को अस्थायी रूप से माफ करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता वैक्सीन निर्माण क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने और विविधता लाने के लिये चल रहे प्रयासों में योगदान देगा, ताकि किसी एक क्षेत्र का संकट दूसरे क्षेत्र को प्रभावित न कर सके।
  - सदस्य देशों ने भविष्य की महामारियों से निपटने हेतु व्यापार सुविधा और सीमा पार सेवाओं जैसे, रसद (logistics), स्वास्थ्य सेवाओं और आईटी के संचालन के महत्व को दोहराया। वर्तमान में जारी पर्यटन पर प्रतिबंधों के गंभीर प्रभाव को देखते हुए, सदस्य देशों ने प्रतिबंधों को कम करने हेतु बातचीत को प्रोत्साहित किया।
- **ई-कॉमर्स:** डिजिटल व्यवसाय से संबंधित लोग इस सम्मेलन से पूर्व इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि सम्मेलन के कारण इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर शुल्क (Tariffs on electronic transmissions) पर रोक की समाप्ति हो सकती है, जिस कारण से डिजिटल उत्पादों और सेवाओं लागत में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती। हालाँकि इस सम्मेलन में सभी सदस्य देश अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन या 31 मार्च 2024 तक, ई-कॉमर्स (E-commerce) प्रसारण पर कस्टम ड्यूटी को जारी रखने पर सहमत हुए।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:** वर्तमान में जारी वैश्विक खाद्य संकट के बीच, जून 2022 में गेहूं की कीमतें जनवरी 2021 की तुलना में 60% अधिक हो गई थीं। इसे ध्यान में रखते हुए सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) द्वारा मानवीय आवश्यकताओं के लिये खरीदे गए खाद्यान को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के बाध्यकारी निर्णय पर सहमति व्यक्त की।
  - सदस्यों ने यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि कोई भी आपातकालीन खाद्य सुरक्षा उपाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कम से कम विकृत करेगा। सदस्य देशों ने वैश्विक खाद्य

आसियान तथा भारत का इंडो–पैसिफिक विजन

रणनीतिक संवाद एवं साझेदारी के 30 वर्ष

• संपादकीय डेस्क

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक (Geopolitical) एवं भू-रणनीतिक संरेखण (Geostrategic Alignment) में परिवर्तन देखा जा रहा है। इन परिवर्तनों ने एक तरफ नए अवसर पैदा किए हैं तो वहीं दूसरी तरह विभिन्न चुनौतियां भी पैदा की हैं। इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति ने गरीबी कम करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने में सहायता की है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत तथा आसियान की अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। अतः यह दोनों के हित में है कि वे इस क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण विकसित करने की पहल करें। इससे संपूर्ण हिंद-प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

16 जून, 2022 को आसियान एवं भारत के बीच संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा 'आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक' (Special ASEAN-India Foreign Ministers' Meeting-SAIFMM) की मेजबानी की गई। आसियान और भारत के बीच संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए वर्ष 2022 को 'आसियान-भारत मैत्री वर्ष' (ASEAN-India Friendship Year) का नाम दिया गया है।

बैठक का एजेंडा

विदेश मंत्रियों ने भारत और आसियान के बीच संबंधों के मूल्य पर जोर दिया। भारत की 'ऐक्ट ईस्ट' नीति के हिन्द-प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान के योगदान पर जोर दिया गया।

- विदेश मंत्रियों द्वारा आसियान-भारत साझेदारी की वर्तमान स्थिति तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा की गई।
- स्वास्थ्य, संपर्क, व्यापार और वाणिज्य, क्षमता निर्माण तथा शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।

भारत–आसियान संबंध के विभिन्न आयाम

✓ **'ऐक्ट ईस्ट' नीति का विकास**

- 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में आसियान के सदस्य देशों के साथ सहयोग करना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है।
- 2014 में भारत ने अपनी सक्रिय विदेश नीति के तहत 'पूर्व की ओर देखो' नीति की जगह 'ऐक्ट ईस्ट' नीति को अपनाया।
- 'ऐक्ट ईस्ट' नीति पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ अधिक सक्रिय रूप से सहयोग करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
- 'पूर्व की ओर देखो' नीति के समय से ही भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन 'आसियान' के साथ संबंधों को बढ़ाने पर जोर देता आया है। आसियान के साथ भारत की संबद्धता को सिंगापुर द्वारा महत्वपूर्ण सहायता या समर्थन प्रदान किया जाता है।
- सर्वप्रथम भारत 1992 में आसियान समूह की बैठक में एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में शामिल हुआ। वर्ष 2002 में भारत एक शिखर स्तर के भागीदार (summit level partner) के रूप में और अंत में वर्ष 2012 में एक रणनीतिक भागीदार (strategic partner) के रूप में शामिल हुआ।

✓ **अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सहयोग**

- भारत और आसियान के बीच सहयोग के माध्यम से भरोसेमंद आपूर्ति नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोनो के बीच सहयोग के माध्यम से विकेन्द्रीकृत वैश्वीकरण (decentralized globalization) को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वर्तमान वैश्विक समाज को सख्त जरूरत है।
- आसियान, आर्थिक और सुरक्षा दोनों मामलों के संदर्भ में अपने सदस्यों और संवाद भागीदारों के साथ सहयोग करता है। वर्तमान समय में आसियान खुद को एक मजबूत वाणिज्यिक ब्लॉक के रूप में स्थापित कर चुका है, मगर यह सुरक्षा मामलों के संबंध में विभाजित दृष्टिकोण रखता है, चाहे वे चीन से संबंधित हों या म्यांमार से संबंधित।

✓ **सामरिक सहयोग**

- भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सामरिक और रणनीतिक सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।
- चीन की आक्रामकता के प्रति भारत और आसियान के लगभग समान विचार हैं। भारत एवं आसियान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुले, समावेशी बनाने के लिए मानदंडों द्वारा शासित करने का आह्वान किया है।

✓ **संपर्क वृद्धि**

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है, जो लंबे समय से उग्रवाद की समस्या से परेशान है। इस क्षेत्र के विद्रोही संगठन म्यांमार के साथ 1,600 किलोमीटर खुली सीमा का लाभ उठाते हैं।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, दोनों योजनाएं लंबित हैं। इसे साकार करने में भारत और म्यांमार दोनों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है।
- वर्तमान में इन परियोजनाओं का विस्तार कर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को शामिल करने पर विचार हो रहा है। जुंटा शासित म्यांमार में अप्रत्याशितता के कारण इन पहलों के संपन्न होने में और देरी हो सकती है।
- दिसंबर 2021 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस तथ्य को स्वीकार किया और चल रहे कनेक्टिविटी उपायों के तेजी से कार्यान्वयन का भी वादा किया।

विषय विमर्श

सहभागी शासन

सुशासन का उच्चतर स्तर

❑ डॉ. विवेक कुमार उपाध्याय

"केवल सुशासन पर्याप्त नहीं है; इसमें जनभागीदारी और सक्रियता आवश्यक है। इसीलिए जनभागीदारी को विकास प्रक्रिया के केन्द्र में रखा जा रहा है"। (नरेन्द्र मोदी)

सहभागी शासन ऐसी प्रणाली है जो नीति निर्माण तथा निगरानी की प्रक्रिया में लोगों को जोड़कर शासन के लोकतांत्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। यह लोक-संवाद, वार्ता तथा मतदान के माध्यम से विशिष्ट निर्णयों तथा नीतियों को निर्धारित करने में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है। सहभागी शासन मानवता के विकास के क्रम में सामाजीकरण का स्वाभाविक चरण रहा है। संगठित होने के क्रम में मानव ने सहभागी शासन का ही सहारा लिया। धीरे-धीरे सत्ता के केन्द्रों की मजबूती के साथ सहभागिता कमजोर होने लगी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जाकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पाया कि शासन में जनभागीदारी के अभाव में विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। यहीं से सहभागी शासन के लाभों के प्रति जागरूकता में वृद्धि होने लगी।

- भारत, भौतिक एवं सामाजिक विविधता वाला देश है, इसलिए योजनाकार भारत के विकास के लिए विकेंद्रीकृत विकास को आवश्यक मानते हैं। विकेंद्रीकृत विकास विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से ही संभव है। विकेंद्रीकृत शासन का मूल उद्देश्य शासन में स्थानीय परंपरागत विवेक को शामिल करना है। यह स्थानीय विवेक का उपयोग अधिकतम जनभागीदारी से ही संभव है। इसलिए सहभागी शासन भारत के सतत एवं समावेशी विकास की पूर्व आवश्यकता है।

सहभागी शासन से होने वाले लाभ

यदि आधुनिकता, लोकतंत्र के विकास का इतिहास है तो सहभागी शासन लोकतंत्र के विकास में मील का आखिरी पत्थर है। शासन में सभी की हिस्सेदारी तथा भागीदारी, शासन को अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन के स्वरूप पर निम्न सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं-

- **पारदर्शिता में वृद्धि:** जनता के सीधे जुड़ाव के माध्यम से प्रशासकों के ऊपर तथ्यों तथा सूचनाओं को पारदर्शी रखने का दबाव होता है। निरंतर जनदबाव के कारण ही आज सभी मंत्रालयों तथा उनकी योजनाओं तक खुला प्रवेश संभव हो पाया है।
- **सरकारी उत्तरदायित्व में वृद्धि:** जनदबाव शासन के सभी अंगों को दायित्व पालन हेतु बाध्य करता है। निर्भया केस के बाद जनदबाव के कारण ही विधायिका को महिला हिंसा के विरुद्ध कठोर कानून बनाने को बाध्य होना पड़ा।
- **सरकारी प्रतिक्रियाओं में तीव्रता:** जन निगरानी के प्रभावस्वरूप शासकीय प्रतिक्रियाओं में तीव्रता आती है। लालफीताशाही में उलझे भारतीय शासन द्वारा प्रतिक्रिया समय में पिछले 20 सालों में लगातार कमी आ रही है। आज एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली ने पूरे देश में लोगों को शासन में भागीदारी का आत्मविश्वास प्रदान किया है। महिला सुरक्षा की मांग की प्रतिक्रिया में उत्तर-प्रदेश सरकार की 1090 महिला हेल्पलाइन ने महिलाओं को सुरक्षा का नया वातावरण प्रदान किया है।
- **लोक नियोजन तथा लोक सेवाओं में सुधार:** भारत में लम्बे समय तक नियोजन को जनता की भागीदारी से दूर रखा गया था। भागीदारी हेतु योजना आयोग से चली यात्रा आज "माईगव" (mygov) पोर्टल तक पहुंच गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने नवाचारी विचारों को सरकार के साथ साझा कर सकता है। प्रधानमंत्री के नियमित 'मन की बात' कार्यक्रम को भी हम लोक संवाद के सहभागी शासन के रूप में देख सकते हैं। 'उमंग ऐप' सरकारी सेवाओं की समयबद्ध अदायगी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत शासकीय सेवाएं निरंतर जनता की मांग के अनुरूप अपने अंदर सुधार प्रस्तुत कर रही हैं।
- **आपदा प्रबंधन पर सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 का पालन:** सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय ज्ञान के उपयोग का निर्देश देता है। यह परंपरागत ज्ञान को आपदा शमन की कार्यवाही में शामिल करने पर जोर देता है। फ्रेमवर्क के ऐसे निर्देशों का पालन सहभागी लोकतांत्रिक वातावरण में ही किया जा सकता है। अत: सहभागी शासन आपदा प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है।
- **एसडीजी 2030 के क्रियान्वयन में सहयोगी:** एसडीजी लक्ष्य-1 गरीबी निवारण का निर्देश देता है। गरीबी निवारण के लिए नियोजन में बॉटम-अप उपागम का अनुसरण आवश्यक है। साथ ही उनके क्रियान्वयन में लोक भागीदारी प्रभावी बनती है। द्वितीय लक्ष्य- शून्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहभागी शासन प्रभावी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता और असमानता में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी सहभागी शासन के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना : समावेशी एवं धारणीय शहरी विकास हेतु आवश्यक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी निवासियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस योजना के माध्यम से शहरी अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही निम्न मजदूरी स्तर तथा संसाधनों के अनुचित नियोजन की समस्याओं को भी संबोधित किया जा सकेगा। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। लोगों की आय में होने वाली वृद्धि मांग में अधिक वृद्धि को प्रेरित करेगी। इसके गुणक प्रभाव अंततः उच्च सकल घरेलू उत्पाद के रूप में देखे जा सकेंगे।

मई 2021 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई 'असमानता की स्थिति रिपोर्ट' (State of Inequality Report) के अंतर्गत 'शहरी रोजगार गारंटी योजना' (Urban Job Guarantee Scheme) तथा 'सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना' (Universal Basic Income Scheme) को लागू किए जाने की सिफारिश की गई है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शहरी श्रम बाजार को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। लॉकडाउन तथा देशव्यापी बंद की घोषणा के कारण वर्ष 2020 के बाद भारतीय शहरी क्षेत्रों में आजीविका की कमी से संबंधित संकटों में वृद्धि हुई है।

- अनौपचारिक कार्यबल शहरी बुनियादी ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं, किंतु उपर्युक्त संकट के समय शहरी क्षेत्र इस कार्यबल हेतु एक समावेशी और लोचशील पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने में विफल रहे। लैंगिक असमानता के दृष्टिकोण से स्थिति और भी भयावह है; शहरी क्षेत्रों में पुरुष तथा महिला कार्यबल के मध्य अंतर में व्यापक वृद्धि देखी गई है। कार्य करने के समान अवसर तथा समान वेतन के अभाव में सतत विकास लक्ष्य-5 के अंतर्गत निर्धारित किए गए 'लैंगिक समानता' के उद्देश्य को पूरा करना कठिन प्रतीत हो रहा है।
- वर्ष 2005 में एक अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने के लिए 'मनरेगा' कार्यक्रम को लागू किया गया था। वर्तमान समय में विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के कारण रोजगार के घटते अवसरों तथा व्यापक गरीबी की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में गारंटीयुक्त रोजगार कार्यक्रमों को लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अनेक विशेषज्ञों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की संभावनाओं को उजागर किया है तथा समावेशी एवं धारणीय शहरी विकास हेतु इसे आवश्यक बताया है। अतः इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है।

शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के समक्ष संकट

मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। महामारी काल में निर्माण गतिविधियों (-50%), व्यापार, होटल एवं अन्य सेवाओं (-47%) तथा खनन क्षेत्र (-23%) में तीव्र गिरावट देखी गई। ये सभी क्षेत्र रोजगार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार की गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था में 'वी शेप रिकवरी' (V-Shape Recovery) की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जिसके अंतर्गत कुछ समय के लिए आर्थिक विकास दर नकारात्मक दर्ज की गई थी।

- शहरी क्षेत्र रोजगार हेतु बेहतर स्थल माने जाते हैं। किंतु, दीर्घकालिक लॉकडाउन की स्थिति से असंगठित गतिविधियों में आई शिथिलता के कारण रिवर्स माइग्रेशन अर्थात शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई। आर्थिक मंदी की भयावहता से उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लाखों श्रमिक आजीविका के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए।
- वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में लगभग 535 मिलियन श्रम बल उपलब्ध है, जिनमें से 398.6 मिलियन श्रम बल निम्न स्तरीय रोजगार गतिविधियों में संलग्न है। कम उत्पादकता, कार्य की विपरीत परिस्थितियां तथा अपर्याप्त आय भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनसे श्रमिकों के मूल अधिकारों का व्यापक रूप से हनन होता है।

in फोकस

- भारत में लिव–इन संबंध : वैधानिकता एवं संबंधित निर्णय
- क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर : सुरक्षा की आवश्यकता एवं भावी कार्यनीति
- भारत में ई–अपशिष्ट प्रबंधन : प्रयास एवं चुनौतियां
- भारत में दुर्लभ मृदा तत्व : सामरिक महत्व एवं उत्पादन
- 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : बेहतर साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु आह्वान

भारत में लिव–इन संबंध
वैधानिकता एवं संबंधित निर्णय

13 जून, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवारों में संपत्ति के बँटवारे के संबंध में एक अहम फैसला देते हुए कहा कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की नाजायज संतान पारिवारिक संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी।

- इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से इसीलिए वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह अविवाहित दंपति का बेटा था।

- जस्टिस एस अब्दुल नजीर और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि उस लड़के के माता-पिता लंबे समय तक विवाहित जोड़े की तरह रहे हैं, इसलिए उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से मना नहीं किया जा सकता।
- बेंच ने कहा कि यदि एक पुरुष व महिला पति-पत्नी की तरह लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के तहत विवाहित जोड़ा ही माना जाएगा।
- अवगत करा दें कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 अदालतों को किसी मामले के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कुछ तथ्यों के अस्तित्व को मानने का अधिकार देती है।

भारत में लिव–इन रिलेशनशिप

वर्तमान में भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को परिभाषित करने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि इस तरह के संबंध पर कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है और न ही यह अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान की है।

- कनाडा, अमेरिका और चीन जैसे कुछ देशों ने 'समझौते' या 'पंजीकरण' आदि के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्रदान की है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है।
- लिव इन रिलेशनशिप अब भारतीय समाज के उच्च आय वर्गों के बीच एक स्वीकार्य विकल्प बनता जा रहा है, परन्तु भारतीय समाज का मध्यम वर्ग अभी भी सामाजिक दबाव में रहने के कारण इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्यता नहीं देता।
- लिव-इन रिलेशनशिप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लिए पार्टनर से किसी औपचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं; चूंकि इस प्रकार के संबंध में दंपति को कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, इसलिए उनका जीवन अलगाव के डर से भरा रहता है।
- यद्यपि भारत में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, फिर भी हाल के कुछ वर्षों में इसे कानूनी संरक्षण प्रदान करने की मांग बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में इस अनौपचारिक संबंध को कानूनी रूप से औपचारिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में कुछ कानूनी प्रगति दिखाई दी है।

इस संबंध में कानूनी विकास

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए गठित मालीमथ समिति द्वारा वर्ष 2003 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि- सीआरपीसी की धारा 125 में 'पत्नी' शब्द की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसके अंतर्गत ऐसी महिला को भी शामिल किया जा सके, जो काफी लंबे समय से किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी की तरह रह रही हो।'

- यह 'महिला लिव इन पार्टनर' को गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार प्रदान करेगा।
- लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट में भी यही मांग दोहराई गई थी।
- इसी प्रकार वर्ष 2008 के तुलसा बनाम दुर्गटिया (Tulsa vs Durghatiya) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक साथ-साथ रहने का फैसला करते हैं, तो उन्हें तब तक विवाहित माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो।
- यह निर्णय अदालतों को लिव इन दंपतियों के साथ, विवाहित दंपतियों के जैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।

लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक चकबंदी वाद (1978):** इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता दी थी।

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे
- आईटी नियम, 2021 में संशोधन प्रस्तावित

संविधान एवं शासन प्रणाली
- 4 राज्यों की 16 राज्य सभा सीटों के लिए चुनाव
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट
- नवनिर्वाचित 40% राज्यसभा सांसदों पर आपराधिक मामले

न्यायपालिका
- महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट तथा किहोतो होलोहन वाद

कार्यक्रम एवं पहल
- राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022
- अग्निपथ योजना
- निर्माण श्रमिकों हेतु कौशल प्रशिक्षण परियोजना : निपुण
- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- भारत की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि
- माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21
- जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक

संक्षिप्तिकी
- राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022
- औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022
- ज्योतिर्गमय उत्सव

न्यूज बुलेट्स

राष्ट्रीय मुद्दे ....

आईटी नियम, 2021 में संशोधन प्रस्तावित

6 जून, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' [IT Rules, 2021] में संशोधन का मसौदा जारी किया।

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जिसे संक्षेप में आईटी नियम, 2021 के रूप में भी जाना जाता है, 25 फरवरी, 2021 को 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' (IT Act) के तहत अधिसूचित किये गए थे। मंत्रालय के अनुसार वर्तमान समय के 'विस्तारित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र' में उभरती चुनौतियों और कमियों को दूर करने के लिए इन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

आईटी नियम 2021 क्या हैं?

आईटी नियम 2021 के द्वारा 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों' [Significant Social Media Intermediaries (SSMIs)] के लिए अतिरिक्त 'अनुपालन आवश्यकताओं' (compliance requirements) को पेश किया गया।

- इन अनुपालन आवश्यकताओं के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और रेजीडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
- आईटी नियमों में 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों' (SSMIs) के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सूचना के पहले प्रवर्तक का पता लगाने की आवश्यकता भी निर्धारित की गई।
- 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' से आशय ऐसे प्लेटफॉर्म से है, जिसके 5 मिलियन से अधिक ग्राहक (subscriber) हों।
- स्ट्रीमिंग सेवाओं तथा ऑनलाइन समाचार व्यवसायों से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए आईटी नियम, 2021 के तहत त्रि-स्तरीय प्रणाली (three-tier system) की स्थापना की पेशकश भी की गई।

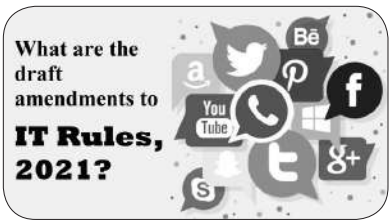

- पहले स्तर पर, संगठन के भीतर शिकायतों को संभाने, दूसरे स्तर पर एक स्व-नियामक निकाय के माध्यम से शिकायतों का निपटान करने तथा तीसरे स्तर पर सरकार द्वारा संचालित समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई करने का प्रावधान किया गया।

आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधन

मसौदे में सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय समितियां गठित करने का प्रस्ताव किया गया है जो सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लिए गए 'सामग्री परिनियमन' (content moderation) संबंधी निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें उलटने के लिए सशक्त होंगी।

- केंद्र सरकार एक या एक से अधिक 'शिकायत अपीलीय समितियों' (Grievance Appellate Committees) का गठन करेगी,

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक सुरक्षा
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

सामाजिक न्याय
- बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून
- भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट

कार्यक्रम एवं पहल
- पीएम ई विद्या योजना
- मनरेगा श्रमिकों से संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
- वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट-2022

संक्षिप्तिकी
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
- मनोरंजन उद्योग तथा बाल संरक्षण

न्यूज बुलेट्स

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

हाल ही में राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली [National Pension System (NPS)] को बंद करने से इसकी प्रगति को बाधा पहुंची है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में

- इस पेंशन प्रणाली को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जा रहा है।

- यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए एक निश्चित योगदान करने की अनुमति देती है, जिससे पेंशन के रूप में भविष्य सुरक्षित होता है।
- NPS के तहत, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) द्वारा अलग-अलग ग्राहकों के लिए एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) तैयार करके उसका रखरखाव किया जाता है।
- यह भारत के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक प्रयास है।
- 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक (निवासी हो अथवा गैर-निवासी) केवाईसी मानदंडों (KYC Norms) का पालन करके आवेदन कर सकता है।

योजना के लाभ

- NPS को विश्व की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना माना जाता है। इस योजना का प्रशासनिक शुल्क और फंड प्रबंधन शुल्क (Administrative fee and fund management fee) भी अत्यंत कम है।
- इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आवेदक, डाकघरों के माध्यम से चलाए जा रहे किसी भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकोल (Post Office Protocol-POPs) के साथ अपना खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) प्राप्त होती है।
- बेहतर रिटर्न पाने के लिए आवेदक अपना खुद का निवेश विकल्प और पेंशन फंड (Investment Option and Pension Fund) का चुनाव कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत ऑटो विकल्प (Auto Choice) के चयन का भी प्रावधान किया गया है।
- आवेदक देश में किसी भी स्थान से अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आवेदक को रोजगार प्राप्त होता है तो खाते को सरकारी अथवा कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस : 12 जून

प्रत्येक वर्ष 12 जून को 'बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस' या 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 का यह दिवस, "बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण" (Universal Social Protection to End Child Labour) नामक थीम के साथ मनाया गया।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व
- संत कबीरदास

मंदिर एवं स्मारक
- संत तुकाराम शिला मंदिर
- कालिका माता मंदिर

कला के विविध रुप
- पट्चित्र पेंटिंग

पर्व एवं त्योहार
- अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 'उनमेश'
- शीतल षष्ठी

संक्षिप्तिकी
- अंबुबाची मेला
- बैखो त्योहार
- खीर भवानी मेला

न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व

संत कबीरदास

5 जून, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में स्थित कबीर चौरा धाम (Kabir Chaura Dham) में 'संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र' (Sant Kabir Academy and Research Centre) तथा 'स्वदेश दर्शन योजना' (Swadesh Darshan Yojana) का उद्घाटन किया।

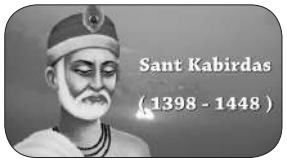

- संत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, जिनके लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया तथा उनके छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब', संत गरीब दास के 'सतगुरु ग्रंथ साहिब' और 'कबीर सागर' में पाए जाते हैं। कबीर अपने समय में सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे।

जीवन परिचय

कवि एवं संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) में हुआ था।

- इनका पालन-पोषण नीरू-नीमा नाम के जुलाहे परिवार में हुआ था।
- वे अपने 'दो-पंक्ति के दोहों' के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता था।
- कबीर दास की विचारधारा वैष्णव संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थी, जिन्होंने कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण उत्तर प्रदेश के मगहर शहर में व्यतीत किये थे।

सामाजिक योगदान

उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की 'बाह्य पूजा के सभी रूपों' (all forms of eñternal worship) का खुले तौर पर उपहास किया। कबीर एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग 'भक्ति' (devotion) है।

- जाति व्यवस्था के खिलाफ कबीर ने ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जटिल अनुष्ठानों और समारोहों को समाप्त करने पर बल दिया।
- वे किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे तथा सभी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे।
- उनके द्वारा 'कबीर पंथ' के नाम से जाना जाने वाला एक धार्मिक समुदाय स्थापित किया गया था और इस पंथ के सदस्यों को 'कबीर पंथी' कहा जाता था।
- संत कबीर ने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक संत की तरह साधारण जीवन व्यतीत किया।
- उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति करुणा (Compassion) और सहानुभूति (Sympathy) में वृद्धि करके असहाय लोगों की सहायता द्वारा समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया था।
- उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दुनिया को मानवता और प्रेम का पाठ पढ़ाया।
- उन्होंने जाति भेद को मिटाने की कोशिश की और एक समतावादी समाज बनाने का प्रयास किया।

साहित्यिक योगदान

कबीर दास ने कबीर ग्रंथावली (Kabir Granthawali), अनुराग सागर (Anurag Sagar), बीजक, साखी ग्रंथ (Sakhi Granth) और पंच वाणी (Panch Vani) जैसे ग्रथों का लेखन कार्य किया था।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

मुद्रा एवं बैंकिंग

- सार्वजनिक बैंक सुधार एजेंडा : ईज 5.0
- रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि
- आरबीआई का पेमेंट्स विजन 2025

सूचकांक एवं रिपोर्ट

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22

योजना एवं पहल

- राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा
- जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीद की अनुमति

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

उद्योग एवं व्यवसाय

- ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022

व्यापार एवं निवेश

- मई 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा

विविध

- ग्रीन जॉब्स : अवधारणा तथा इस संबंध में किये गए प्रयास

संक्षिप्तिकी

- निर्यात पोर्टल का शुभारंभ
- बैंगनी क्रांति में कृषि-तकनीक स्टार्टअप
- भारत में दोहरे घाटे की समस्या की संभावना

न्यूज बुलेट्स

मुद्रा एवं बैंकिंग

सार्वजनिक बैंक सुधार एजेंडा : ईज 5.0

वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 जून, 2022 को 'ईज 5.0' (EASE 5.0: Enhanced Access and Service Excellence 5.0) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का सामान्य सुधार एजेंडा जारी किया।

- यह सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार से संबंधित 'ईज नेक्स्ट कार्यक्रम' (EASENext program) के तहत जारी किया गया।

मुख्य बिंदु

EASE 5.0 के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) नए जमाने की क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेंगे तथा ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों, बदलती प्रतिस्पर्धा एवं प्रौद्योगिकी के माहौल के अनुरूप जारी सुधारों को बढ़ावा देंगे।

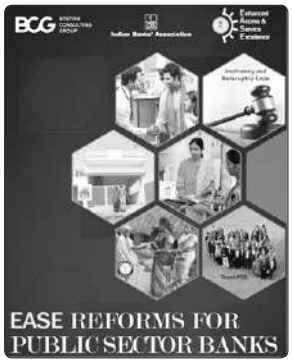

- EASE 5.0 सुधार एजेंडा, डिजिटल ग्राहक अनुभव तथा एकीकृत एवं समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें छोटे व्यवसायों और कृषि का समर्थन करने पर जोर दिया जाएगा।
- इसके अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बैंक-विशिष्ट तीन वर्षीय रणनीतिक रोडमैप भी तैयार करना होगा।

ईज रिफॉर्म एजेंडा क्या है?

'पीएसबी सुधार ईज एजेंडा' (PSB Reforms EASE Agenda) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग, 'स्वच्छ एवं सरलीकृत ऋण व्यवस्था' (Clean and Simplified Loan System), बेहतर ग्राहक सेवा, मजबूत शासन और मानव संसाधन आचरण को संस्थागत बनाना है।

- एन्हेन्स्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) एजेंडा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को उत्प्रेरित किया है। इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी, तथा इसके बाद ईज 1.0 की नींव पर ही इसके अगले संस्करण 'ईज 2.0', 'ईज 3.0' तथा 'ईज 4.0' शुरू किये गए थे। 'ईज 5.0' पीएसबी सुधार ईज एजेंडा' का 5वां संस्करण है।

ईज रिफॉर्म एजेंडे के विभिन्न संस्करण

- **ईज 1.0 (EASE 1.0):** वर्ष 2018 में जारी इस एजेंडे में जिम्मेदार बैंकिंग को सक्षम बनाने के लिए बड़े मूल्य के ऋणों की निगरानी करने तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने की बात की गई थी।
- **ईज 2.0 (EASE 2.0):** यह वर्ष 2019 में जारी किया गया था तथा इसका मुख्य फोकस स्मार्ट बैंकिंग पर था।
- **ईज 3.0 (EASE 3.0):** वर्ष 2021 के प्रारंभ में जारी इस सुधार एजेंडे का मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का डिजिटल तथा डेटा संचालित बैंकों (Digital and Data based Banks) में रूपांतरण करना था।
- **ईज 4.0 (EASE 4.0):** अगस्त 2021 में जारी इस सुधार एजेंडे के अंतर्गत डेटा विश्लेषण आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की पहुँच को बढ़ाने तथा सभी बैंकिंग प्रक्रियाओं के स्वचालन (Automation of Banking processes) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

मुख्य परीक्षा विशेष-2

सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण विषय

विवरण, विवेचना एवं विश्लेषण

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्रों का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयोग द्वारा पूछे जाने वाले ज्यादातर प्रश्न विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक उत्तर की मांग करते हैं। अत: मुख्य परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि इन प्रश्नों का उत्तर उनकी मांग के अनुरूप ही दिया जाए। मुद्दे-आधारित, ओपन-एंडेड और अंतर-विषयक प्रकृति के इन प्रश्नों की मांग के अनुरूप ही हमने यह अध्ययन सामग्री विकसित की है। पिछले अंक में हमने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मांग के अनुरूप सर्वाधिक 90 महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए थे, इस अंक में हम 100 ऐसे टॉपिक दे रहे हैं जो सामान्य तौर पर एक जगह किसी एक पुस्तक में नहीं मिलते हैं। इसे विकसित करते समय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है।

भारतीय समाज (जीएस पेपर-I)

1. महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी : कारण एवं सुझाव 111
2. पॉपुलेशन एजिंग : चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ..... 112
3. महिलाओं के लिए स्वामित्व का अधिकार : मुद्दे एवं समाधान..... 112
4. भारतीय मीडिया में लैंगिक रूढ़िबद्धता 113
5. सामाजिक मूल्यों पर बढ़ती सांप्रदायिकता का प्रभाव..... 114
6. क्षेत्रवाद..... 114

इतिहास एवं संस्कृति (जीएस पेपर-I)

7. ब्रिटिश शासन की नीतियां तथा आधुनिक भारत का निर्माण..... 115
8. गाँधी एवं नेहरू के सामाजिक-आर्थिक विचार : समानता एवं विभेद..... 115
9. काँग्रेस के नरम दल की अनुनय-विनय की नीति..... 116
10. स्वतंत्रता आंदोलन एवं विज्ञान एवं तकनीकी..... 116
11. 11वीं सदी के समाज सुधारक और संत : रामानुजाचार्य..... 117
12. ज्योतिबा फुले..... 117
13. गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की विशेषताएं..... 117
14. औद्योगिक क्रांति का उपनिवेशवाद के प्रसार में योगदान..... 118
15. रूसी क्रांति : कारण तथा वैश्विक प्रभाव..... 118

भूगोल (जीएस पेपर-1)

16. देश में जल संकट : कारण एवं प्रभाव..... 119
17. भूमि निम्नीकरण : समस्या, प्रभाव एवं समाधान की रणनीति..... 120
18. भारतीय मानसून के व्यवहार में परिवर्तन : प्रभाव एवं समाधान 121
19. तीव्र शहरीकरण तथा अपशिष्ट प्रबंधन..... 122
20. औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक..... 122
21. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भूकंप के कारण..... 123
22. वायु राशियां : वैश्विक जलवायु पर प्रभाव..... 123

संविधान एवं शासन प्रणाली (जीएस पेपर-2)

23. कानूनों का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना..... 123
24. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र : महत्व एवं सीमाएं 124
25. सील्ड कवर डॉक्ट्रिन : गोपनीयता बनाम न्यायिक पारदर्शिता 125
26. समान नागरिक संहिता : आवश्यकता एवं औचित्य..... 126
27. भुलाए जाने का अधिकार..... 127
28. भारतीय संघवाद के समक्ष नवीन चुनौतियां..... 127
29. न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम..... 128
30. डिजिटल स्थानीय शासन और ई-पंचायत..... 128
31. संसदीय विशेषाधिकार..... 129
32. राजकोषीय संघवाद..... 130

सामाजिक न्याय (जीएस पेपर-2)

33. भारत में सुभेद्य वर्ग : नीतिगत चुनौतियां एवं कल्याण के उपाय..... 130
34. ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड..... 131

35. सहकारिता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक समृद्धि 132
36. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव133
37. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण 133
38. गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा 134
39. भारत में भूख एवं कुपोषण की समस्या 134
40. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा.....135
41. आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा सतत विकास लक्ष्य 135

ई-गवर्नेंस (जीएस पेपर-2)

42. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन.....135
43. डिजिटल संप्रभुता: महत्व और उठाए गए कदम.....136

अंतरराष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर-2)

44. ब्रिक्स समूह : प्रासंगिकता एवं भविष्य.....137
45. भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 138
46. हिन्द-प्रशांत में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी.....139
47. भारत-चीन सीमा विवाद 139
48. भारत की स्वतंत्र विदेश नीति.....140
49. हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता भारत 140
50. एक्ट ईस्ट नीति में बिम्सटेक की प्रासंगिकता 140
51. मध्य एशिया में अपने हितों को बढ़ावा देने हेतु भारत के कदम.....141

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र (जीएस पेपर-3)

52. कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान 141
53. भारत में परिशुद्धता कृषि : चुनौतियां एवं उपाय 142
54. भारत में पशुधन क्षेत्र : समावेशी विकास में भूमिका एवं चुनौतियां.....143
55. भारत में कृषि सब्सिडी : महत्व एवं मुद्दे.....143

आर्थिक विकास (जीएस पेपर-3)

56. एल्गो ट्रेडिंग तथा संबंधित मुद्दे.....144
57. भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम : चुनौतियाँ एवं संभावनाएं.....144
58. भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था 145
59. सर्कुलर इकोनॉमी की ओर भारत : चुनौतियां एवं अवसर....146
60. ओटीटी प्लेटफॉर्म : महत्व तथा विनियमन 147
61. भारतीय एडटेक उद्योग.....147
62. औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण कानून 148
63. भारत में बढ़ती बेरोजगारी : समावेशी विकास में बाधा.....148
64. उत्पादन आधाारित प्रोत्साहन योजना.....149

राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति (जीएस पेपर-3)

65. चालू खाता घाटा की समस्या 149
66. सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास 149
67. मौद्रिक नीति एवं मुद्रास्फीति.....150

राष्ट्रीय सुरक्षा (जीएस पेपर-3)

68. उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर : चुनौती एवं दिशा 151
69. सीमा प्रबंधन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका 151
70. भारत में व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण: मुद्दे, समाधान.....152

जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण (जीएस पेपर-3)

71. जैव विविधता का ह्रास तथा उत्पन्न चुनौतियां.....153
72. प्रतिपूरक वनीकरण 153
73. 2070 तक शुद्ध शून्य : चुनौतियां तथा आवश्यकता.....154
74. पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र 155
75. भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 155

प्रौद्योगिकी विकास (जीएस पेपर-3)

76. जीएम खाद्य पदार्थ संबंधित मुद्दे एवं समाधान.....155
77. कृत्रिम बुद्धिमत्ता : चुनौतियां एवं अनुप्रयोग.....156
78. क्वांटम प्रौद्योगिकी : महत्व एवं इसके अनुप्रयोग.....157
79. ड्रोन प्रौद्योगिकी : उपयोग तथा चुनौतियों.....158
80. भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 158
81. क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढांचा.....159

आपदा प्रबंधन (जीएस पेपर-3)

82. शहरी बाढ़ आपदा तथा इसका प्रबंधन 160
83. रोगाणुरोधी प्रतिरोध : कारण एवं नियंत्रण.....160
84. विकास प्रेरित विस्थापन.....161

सार्वजनिक एवं निजी संबंधों में नीतिशास्त्र (जीएस पेपर-4)

85. सहभागी, समावेशी एवं धारणीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस : महत्व एवं मुद्दे.....161
86. राजनीति में नैतिकता.....162
87. संज्ञानात्मक विसंगति.....162

नैतिक विचारक एवं दार्शनिकों का योगदान (जीएस पेपर-4)

88. भगवान महावीर की शिक्षाएं : वर्तमान में प्रासंगिकता.....163

सिविल सेवा मूल्य (जीएस पेपर-4)

89. लोक सेवा में मूल्य एवं इसका महत्व.....163
90. शासन व्यवस्था में ईमानदारी.....164
91. प्रशासन में हितों का टकराव 164

जैव-नीतिशास्त्र (जीएस पेपर-4)

92. जीएम फसलें एवं बायो-एथिक्स.....165
93. मानव जीन एडिटिंग : नैतिक मुद्दे एवं समाधान.....165

अभिवृत्ति (जीएस पेपर-4)

94. लोक सेवा में नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति.....166

मूल्यों का विकास (जीएस पेपर-4)

95. मूल्यों के विकास विभिन्न कारकों की भूमिका 166

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे (जीएस पेपर-4)

96. वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से व्युत्पन्न नैतिक मुद्दे.....166
97. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता 168

नीतिशास्त्र एवं मानवीय सह-संबंध (जीएस पेपर-4)

98. पर्यावरणीय नैतिकता 168

केस स्टडी (जीएस पेपर-4)

99. केस स्टडी-1.....168
100. केस स्टडी-2.....169

भारतीय समाज (जीएस पेपर-I)

महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी : कारण एवं सुझाव

किसी देश में महिलाओं की श्रम में भागीदारी की दर उस देश की विकास क्षमता को इंगित करती है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां महिलाओं को एक निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि समाज के लिए संभावित योगदानकर्ताओं के रूप में देखा जाए।

- भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (female labor force participation rate - FLFPR) पिछले 2 दशकों में तेजी से गिर रही है। ILO के अनुसार, यह 2000 में लगभग 30.5% से 2019 में 21.1% (पूर्व-महामारी) और 2020 में 18.6% (महामारी के बाद) हो गई है।
- विश्व बैंक के अनुसार 1990 में भारत में जहां महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 30% थी, वहीं 2019 में घटकर 20.5% रह गई है। जबकि पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी में समय के साथ थोड़ी ही कमी आई है।
- पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी 2019 में 73.8 रही है, जो कि महिलाओं की तुलना में 4 गुना है।

महिला श्रम बल भागीदारी दर कम होने के कारण

- **कृषि में महिलाओं की कम होती भागीदारी:** हाल के दिनों में, ग्रामीण संकट ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि आय सृजन के अवसर कम हो गए हैं। ज्यादातर महिलाएं कृषि में कार्यरत थीं। 1990 से 2016 के बीच कृषि से लोगों का पलायन हुआ है अर्थात रोजगार देने में कृषि का हिस्सा 1990 में जो 63% था वह घटकर 2016 में मात्र 45% रह गया।
- **अवैतनिक कार्य (Unpaid work):** 2018 के एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाओं द्वारा घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर की गई अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों पर खर्च किया जाने वाला समय महिला श्रम बल भागीदारी दरके महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। विशेष रूप से घरेलू कामों पर खर्च किए गए अवैतनिक कार्य, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- **अवसरों की कमी:** परिवार के आकार में कमी और ग्रामीण पुरुषों के प्रवास के साथ, महिलाओं पर अवैतनिक कार्य का बोझ असमान रूप से बढ़ रहा है। घरेलू काम का बोझ और अवैतनिक देखभाल महिलाओं को बेहतर नौकरियों के लिए कौशल हासिल करने की क्षमता को बाधित करती हैं।
- **घरेलू पारिवारिक आय में उच्च वृद्धि:** जैसे-जैसे पति और परिवार की अन्य आय बढ़ती है, महिलाओं के काम करने के प्रोत्साहन में गिरावट आती है। अत: महिलाओं को कार्य करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता।
- **शिक्षा का अभाव:** जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.0 प्रतिशत है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों में साक्षरता दर 82.1 प्रतिशत है। साथ ही बालिका शिक्षा की ड्रॉपआउट यानी समय से पहले स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक है।
- **कार्यस्थल पर उत्पीड़न:** प्राय: ऐसा देखा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न किया जाता है।
- **सुरक्षा कारण एवं चिंताएं:** NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2018 से 2019 में 7.3% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी प्रवृतियां शामिल हैं। यातायात सुविधाओं के अभाव ने भी महिलाओं के नौकरी करने में बाधा उत्पन्न की है।
- **श्रम एवं रोजगार कानून:** मातृत्व एक बड़ा कारक है। प्राय: ऐसा देखा गया है कि कार्यशील महिलाएं मातृत्व प्राप्त करने के पश्चात पुन: उसी कार्य बल में शामिल नहीं हो पातीं।

महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ाने संबंधी उपाय

- **बाल-देखभाल सब्सिडी (child care subsidy):** श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें बाल-देखभाल सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। इसका महिला रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, बाल देखभाल सब्सिडी का युवा लड़कियों की शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें अब अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ेगा।
- **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी नीति:** नीति निर्माताओं को संपूर्ण भारत में महिलाओं के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी स्थायी वेतनभोगी नौकरियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने संबंधी नीतियां बनानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों लिए रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- **सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जागरूकता:** सरकारों को जनता के बीच महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है।
- **क्रेच खोलना:** स्थानीय निकायों को राज्य सरकार की सहायता से कस्बों और शहरों में अधिक क्रेच खोलने चाहिए ताकि बच्चों के साथ महिलाएं बाहर निकल सकें और काम कर सकें। क्रेच महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा।
- **मानव पूंजी का निर्माण:** शिक्षा में उच्च सामाजिक व्यय, मानव पूंजी को बढ़ाकर महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ा सकता है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी पहल तथा कॉरपोरेट बोर्ड से लेकर पुलिस बल में जेंडर आधारित कोटा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **समान वेतन प्रदायगी:** भारतीय कानून द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए पारिश्रमिक-पारदर्शिता और लिंग-तटस्थता आवश्यक है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण तथा संसद और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय लेने हेतु उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा।